



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.12.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित 05 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 02

मोटर साईकिल बरामद:-

ज्ञात हो दिनांक 01.12.2024 को वादी श्री अनंत चौधरी पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP12X4498 देव गार्डन माजरा रोड़ से चोरी कर ली गयी थी तथा दिनांक 05.12.2024 को वादी श्री बिट्टू कुमार पुत्र श्री सुखवीर सिंह निवासी ग्राम नयागांव थाना झिंझाना जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19J8442 दिल्ली बस अड्डा शामली से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटनाओं के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा झिंझाना नहर पुल पटरी के पास से हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित 05 वाहन चोरो को चोरी की गयी 02 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.रामलाल पुत्र जनेश्वर निवासी गौशाला रोड थाना कोतवाली शामली जनपद शामली (हिस्ट्रीशीटर)
- 2.सागर पुत्र रामपाल निवासी गली नं0 10 मौहल्ला रेलपार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
- 3.विकास उर्फ लोली पोप पुत्र अनिल निवासी गली नं0 03 मौहल्ला रेलपार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
- 4.विकास पुत्र सुरेश निवासी गली नं0 03 मौहल्ला रेलपार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
- 5.सन्नी पुत्र सुरेन्द्र निवासी गली नं0 05 मौहल्ला रेलपार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्ड प्लस रजि0नं0 UP12X4498
- 2.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्ड प्लस रजि0नं0 UP19J8442

आपराधिक इतिहास हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रामलाल उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 432/2019 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 478/2019 धारा 307/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 471/2019 धारा 394/307/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 479/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 1315/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 6.मु0अ0सं0 304/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
- 7.मु0अ0सं0 82/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 8.मु0अ0सं0 83/2021 धारा 3/10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 9.मु0अ0सं0 438/2021 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
- 10.मु0अ0सं0 361/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

11.मु0अ0सं0 497/2023 धारा 414/482 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

12.मु0अ0सं0 06/2024 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।

13.मु0अ0सं0 673/2024 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

14.मु0अ0सं0 675/2024 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।



थाना महिला थाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 07.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना महिला थाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना महिला थाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.रोहित पुत्र रुलिया राम निवासी ग्राम फतेहपुर थाना पुंडरी जनपद कैथल (हरियाणा)।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 08 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 11,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2000 में अभियुक्त राजीव पुत्र चौहल सिंह निवासी ग्राम एलम थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना जीआरपी शामली पर मु0अ0सं0 28/2000 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एजेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2003 में अभियुक्तगण 1.राशिद पुत्र अजीज 2.जाहिद पुत्र अजीज 3.आबिद पुत्र अजीज निवासीगण फक्वारा चौक कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 316/2003 धारा 323/324 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,500-1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2012 में अभियुक्तगण 1.काला उर्फ गफ्फार पुत्र कय्यूम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली 2.शादाब पुत्र राजूल निवासी मौहल्ला राजोबान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली 3.सोनू कुमार उर्फ देवेन्द्र पुत्र बालकिशन निवासी मौहल्ला रामशाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 414/2012 धारा 379/511 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,000-1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2013 में अभियुक्त इंसार पुत्र गफ्फूर निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 618/2013 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एजेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.राजीव पुत्र चौहल सिंह निवासी ग्राम एलम थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.राशिद पुत्र अजीज निवासी फक्वारा चौक कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.जाहिद पुत्र अजीज निवासी फक्वारा चौक कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 4.आबिद पुत्र अजीज निवासी फक्वारा चौक कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 5.काला उर्फ गफ्फार पुत्र कय्यूम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 6.शादाब पुत्र राजूल निवासी मौहल्ला राजोबान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 7.सोनू कुमार उर्फ देवेन्द्र पुत्र बालकिशन निवासी मौहल्ला रामशाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 8.इंसार पुत्र गफ्फूर निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।